

67



न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी **2/ निगरानी छतरपुर श्र.श/2017/4066**

S.P. Phokad Adv.

द्वारा आज दि. 30/10/17 को
प्रस्तुत

वका
वकील ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
30.10.17

30.10.17

Noted by
[Signature]

1. मुस. दीप्ति अग्रवाल पत्नी स्व. अनुपम अग्रवाल
2. पंकज अग्रवाल पुत्र स्व. प्रयागदास
निवासीगण बुन्देलखण्ड बस ट्रान्सपोर्ट कम्पनी
छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.

— आवेदकगण

विरुद्ध

1. राजेन्द्र राय पुत्र किशन चन्दनराय निवासी
राजेन्द्र मेडीकल स्टोर जिला अस्पताल के
सामने छत्रसाल चौराहा जिला छतरपुर म0प्र0
2. म0प्र0 शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल
छतरपुर म0प्र0

— अनावेदकगण

[Signature]
(30.10.17 AM)

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर जिला छतरपुर के

प्र.क. 15/2016-17/अ-12 में पारित आदेश दिनांक

11.05.2017 की जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि निगरानी

प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :-

यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है। कि

अनावेदक द्वारा छतरपुर जिला छतरपुर के मौजा बगौता की भूमि सर्वे क. 2131/6
रकवा 0.825 हैं. एवं 2132/14 रकवा 0.466 हैं. कुल किता 2 कुल रकवा 1.291 हे. के


3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4066

मुस. दीप्ति विरूद्ध राजेन्द्र व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 15/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 11-05-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p> (आर.के. जैन) सदस्य 01/02/2019</p>